

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 14/2020- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 2020

सा.का.नि (अ)----- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उपधारा (3) और धारा 158 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ. - (1) इन विनियमों को सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में, विनियम 15 में;

क. उपविनियम (1) में, अभिव्यक्ति "इन विनियमों के लागू होने की तारीख से पैतालिश दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "15 मई, 2020 से लेकर 1 अगस्त, 2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ख. उपविनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर "16 फरवरी, 2020" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "1 अगस्त, 2020 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. स. 450/58/2015- सीमाशुल्क IV]

गौरव सिंह

(गौरव सिंह)

उप सचिव (कर अनुसंधान एकक)

टिप्पणी: इस प्रधान विनियमावली को सा.का.नि. 448 (अ), दिनांक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 78/2019-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 31 अक्टूबर, 2019, सा.का. नि. 819 (अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया था।